न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 330 सन 2020
अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मोहनी पत्नि मनीराम जाति जाट निवासी निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. धर्मपाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी निमला तहसील नोहर ।
3. रूकमा पुत्री मनीराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बरमसर तहसील रावतसर।
4. रूकमा उर्फ बलवन्ती पुत्री मनीराम पत्नि इन्द्राज जाति जाट निवासी चक 5 आरपीएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. ज्यानी पुत्री मनीराम पत्नि साहबराम जाति जाट निवासी बरमसर तहसील रावतसर
6. रामप्यारी पुत्री मनीराम पत्निं श्रवण कुमार जाति जाट निवासी बरमसर तहसील रावतसर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 24/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 168/164 की कुल 7.6760हैक्ट व खाता संख्या 167/175 की कुल 5.8430हैक्ट भूमि वादी के पिता मनीराम पुत्र मामराज के नाम से दर्ज है

वादी की पिता मनीराम पुत्र मामराज का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ही है जो मनीराम पुत्र मामराज के नाम से दर्ज भूमि के जायज वारिसान है मनीराम पुत्र मामराज के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 वादी की बहने एवं मृतक मनीराम पुत्र मामराज पुत्रीया है जिन्होने अपने हक हिस्सा की की भूमि का त्याग अपने भाईयो/माता वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि जो मनीराम पुत्र मामराज के नाम से दर्ज है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की, पारी पत्नि लालचन्द जो वादी की माता है के नाम से दर्ज भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी की पिता मनीराम पुत्र मामराज के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है मनीराम पुत्र मामराज के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो मनीराम पुत्र मामराज के नाम से दर्ज भूमि के बहिब के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,जो वादी की बहने एवं मनीराम पुत्र मामराज की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो/माता वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला जबाब दावा पेश किया गया। ईकबाल जबाब दावा शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 168/164 की कुल 7.6760हैक्‍ व खाता संख्या 167/175 की कुल 5.8430हैक्‍ भूमि वादी के पिता मनीराम पुत्र मामराज के नाम से दर्ज है

वादी की पिता मनीराम पुत्र मामराज का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ही है जो मनीराम पुत्र मामराज के नाम से दर्ज भूमि के जायज वारिसान है मनीराम पुत्र मामराज के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 वादी की बहने एवं मृतक मनीराम पुत्र मामराज पुत्रीया है जिन्होने अपने हक हिस्सा की की भूमि का त्याग अपने भाईयो/माता वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि जो मनीराम पुत्र मामराज के नाम से दर्ज है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार की रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 168/164 की कुल 7.6760हैक्‍ व खाता संख्या 167/175 की कुल 5.8430हैक्‍ भूमि वादी के पिता मनीराम पुत्र मामराज के नाम से दर्ज है

वादी का कथन है वादी की पिता मनीराम पुत्र मामराज का देहान्त हो चुका है मनीराम पुत्र मामराज के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो मनीराम पुत्र मामराज के नाम से दर्ज भूमि को बहिब हकदार है वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मृत्यू एवं वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादी के कथनों की पुष्टी होती है। अर्थात वाद भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जायज हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 स्वय न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 168/164 की कुल 7.6760हैक्‍ व खाता संख्या 167/175 की कुल 5.8430हैक्‍ भूमि जो मनीराम पुत्र मामराज के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों को बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 मोहनी पत्नि मनीराम जाति जाट निवासी निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. धर्मपाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी निमला तहसील नोहर ।
3. रूकमा पुत्री मनीराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बरमसर तहसील रावतसर।
4. रूकमा उर्फ बलवन्ती पुत्री मनीराम पत्नि इन्द्राज जाति जाट निवासी चक 5 आरपीएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. ज्यानी पुत्री मनीराम पत्नि साहबराम जाति जाट निवासी बरमसर तहसील रावतसर
6. रामप्यारी पुत्री मनीराम पत्नि श्रवण कुमार जाति जाट निवासी बरमसर तहसील रावतसर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 330 सन 2020 निर्णय दिनांक– 24/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 168 / 164 की कुल 7.6760हैक व खाता संख्या 167 / 175 की कुल 5.8430हैक भूमि जो मनीराम पुत्र मामराज के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों को बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner